भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4058
उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2020

मोबाइल टॉवर घनत्व और ब्रॉडबैंड सेवाएं

4058. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यशील मोबाइल टॉवरों की दूरसंचार कंपनी-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने मोबाइल टॉवर के घनत्व को बढ़ाने और देश भर के सभी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) दिनांक 11.03.2020 की स्थिति के अनुसार, देश में मोबाइल टॉवरों की संख्या 5,94086 है। इन मोबाइल टॉवरों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की संस्थापना की जाती है। देश में दिनांक 11.03.2020 की स्थिति के अनुसार बीटीएस की प्रमुख टीएसपी-वार संख्या नीचे दी गई है:

टीएसपी का नाम	एयरटेल	बीएसएनएल	एमटीएनएल	रिलायंस जिओ	वोडाफोन-आइडिया
दिनांक 11.03.2020 की स्थिति के अनुसार बीटीएस की संख्या	5,47,727	1,50,451	4,292	8,68,327	5,57,104

इसके अलावा, टीएसपी द्वारा अपनी प्रौद्योगिकीय-वाणिज्यिक अपेक्षाओं के आधार पर अपने नेटवर्कों की कवरेज़ और/या क्षमता में सुधार लाने के लिए नए मोबाइल टॉवरों/बीटीएस की संस्थापना निरंतर आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) समर्थित निम्नलिखित स्कीमों/परियोजनाओं को देशभर में ग्रामीण तथा सदूर क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने/सुविधाजनक बनाने के लिए अनुमोदित किया गया है:

i. वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) चरण-I परियोजना के तहत, भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 2355 टॉवर स्थलों पर मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना के तहत, इन राज्यों में 2जी+4जी आधारित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 2217 मोबाइल टॉवरों की संस्थापना की गई है;
ii. जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य तरजीही क्षेत्रों सहित सीमा क्षेत्रों के 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के उपबंध को भी अनुमोदित किया गया है;
iii. राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ अनकवर्ड गांवों में मोबाइल कवरेज मुहैया कराने के लिए और ट्रांसमिशन नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना;
iv. भारतनेट परियोजना के तहत, देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) (लगभग 2.5 लाख) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट चरण-I परियोजना के अंतर्गत 119874 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं और भारतनेट चरण-II परियोजना के तहत 16494 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं;
v. अण्डमान और निकोबार द्वीपों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चैन्नई तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों के बीच समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना;
vi. अण्डमान और निकोबार द्वीपों में अनकर्वड गांवों को कवर करने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 223) के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी;
vii. 10 मोबाइल टॉवरों की संस्थापना करके लक्षद्वीप द्वीपों में मोबाइल कनेक्टिविटी में वृद्धि करना;
viii. अण्डमान और निकोबार द्वीपों के लिए 4 जीबीपीएस तक सेटेलाइट बैंडविडथ वृद्धि;
ix. लक्षद्वीप द्वीपों के लिए 1.71 जीबीपीएस तक सेटेलाइट बैंडविडथ वृद्धि;
x. चार राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्चकांक्षी जिलों में 502 अनकवर्ड गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा का उपबंध करने के लिए उच्चकांक्षी जिला स्कीम अनुमोदित की गई है।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें स्पेक्ट्रम के कारोबार/साझाकरण/उदारीकरण को अनुमत करना, निष्क्रिय और सक्रिय अवसंरचना साझा करने को अनुमत करना, मार्ग का अधिकार नियमावली 2016 की अधिसूचना, टॉवरों की संस्थापनाओं के लिए सरकारी भूमि/भवन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। परिणामस्वरूप, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा मार्च, 2014 (6.49 लाख बीटीएस) से मार्च 2020 (21.87 लाख बीटीएस) की अवधि के दौरान देशभर में 2जी/3जी/4जी-एलटीई सेवाओं के लिए लगभग 15.37 लाख अतिरिक्त बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की वृद्धि की गई है।

*****